कार्यालय पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय),जिला इन्दौर म.प्र.
रानीसराय भवन,आर.एन.टी. मार्ग
फोन - 0731-2513344, फैक्स -2525800

क्रमांक/पुअधी./मुख्या./इं/आवास/ 454/ 2020 दिनांक 29/12/2020

//आदेश//

पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र./पुमु/लेखा/पेंशन/1287/08 दिनांक 05/12/08 एवं अति. पुलिस महानिदेशक,इंदौर जोन इंदौर के आदेश क्रं./अमनि/इं/स्थापना/एफ/149-176(ए)/17 दिनांक 14/11/17 के पालन में आवास आबंटन नीति के अंतर्गत गठित समिति द्वारा उपलब्ध रिक्त आवास गृहों की स्थिती के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासकीय आवासगृह कंडम एवं अन्य समस्या होने से आपसी सहमति के आधार पर आवास परिवर्तन की अनुमति पर समग्र विचार किया जाकर निम्नानुसार नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार निम्न शर्तो के अधीन शासकीय आवासगृह अस्थायी रूप से आबंटित किये जाते हैः-

आपसी सहमति के आधार पर परिवर्तन				
क्रं.	**पद व नाम**	**तैनाती**	**वर्तमान आवंटित आवासगृह**	**परिवर्तित आवासगृह**
1.	आर. 1829 सुनील पटेल	थाना एरोड्रम	एरोड्रम पुलिस लाईन आवास क्र.A-04	एरोड्रम पुलिस लाईन आवास क्र.E-05
2.	सउनि ज्ञान सिंह कुशवाह	डीआरपी लाईन	एरोड्रम पुलिस लाईन आवास क्र.E-05	डीआरपी लाइन आवास क्र. पुराना एनजीओ 01

आवंटन की शर्तेः-

1. शासकीय आवासगृह आवंटन इस आधार पर किया जा रहा हैं कि आवंटिती का स्वंय/परिवार में आश्रित सदस्य(पति,पत्नी,बच्चे,माता-पिता)के नाम से इन्दौर में कोई आवासगृह नहीं हैं अन्यथा आवंटन निरस्त कर संबंधित के विरूद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं किराया नियम 45-बी के अनुसार रेंट भी वसूल किया जावेगा ।
2. पति/पत्नी के अधिपत्य में इंदौर में अन्य शासकीय आवास होने की दशा में यह आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा। इसी तरह आवासगृह का अधिपत्य लेने के पश्चात किसी जिले में कोई भी अन्य शासकीय आवासगृह स्वयं के आधिपत्य में हो तो उसे सात दिवस में अनिवार्य रूप से रिक्त कर दिया जावे अन्यथा यह आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
3. आवासगृह का वाणिज्य/व्यवसायिक उपयोग,किराए पर देना, परिचित अथवा रिश्तेदार को निवास के लिए देना प्रतिबंधित है ।
4. आवासगृह को रिक्त रखने अथवा ताला लगाकर रखने एवं स्वयं आवासीय उपयोग न करने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
5. सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक/त्यागपत्र/पदच्युत/अन्यत्र स्थानान्तर होने अथवा प्रतिनियुक्ति पर जाने की स्थति में इसकी सूचना तत्काल संपदा अधिकारी रक्षित निरीक्षक/आवास लिपिक डीपीओ इन्दौर को दी जावे, अन्यथा आवंटन निरस्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं पेनल रेंट वसूल किया जाएगा ।

Scanned by TapScanner

6. शासकीय आवासगृह में किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़, नवनिर्माण आदि प्रतिबंधित हैं, यदि ऐसा पाया गया तो आवंटिती क्षतिपूर्ती हेतु स्वंय जवाबदार होगा ।
7. आवासगृह से लगी भूमि का उपयोग जानवर पालने हेतु नहीं किया जावें, पडोसियों की सुख-सुविधा में व्यवधान पैदा हो ऐसा कोई कार्य न किया जावे ।
8. आवंटित शासकीय आवासगृह में विद्युत कनेक्शन आवंटिती को स्वंय म.प्र. विद्युत मण्डल से लेना होगा एवं जल तथा विद्युत व्यय नियमित भुगतान करना होगा ।
9. आवासगृह के आधिपत्य हेतु शासकीय आवास की चाभी पुलिस लाईनस्टोर शाखा से प्राप्त करें तथा आधिपत्य की रिपोर्ट रक्षित केन्द्र रोजनामचे में दर्ज करावेंगे ।आवास के रिक्त करने समय आवास की चाभी लाइन स्टोर में जमा करने के दिनांक से आवंटिती द्वारा आवास रिक्त किया जाना माना जावेगा।
10. आवास रिक्त करते समय संपदा अधिकारी रक्षित निरीक्षक इन्दौर को सूचित कर आवास का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जावे ताकि शासकीय संपत्ति में क्षति का मूल्यांकन किया जा सके ।
11. आबंटित आवास का अधिपत्य 10 दिवस में न लेने की दशा में आवास आबंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
12. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाने पर अथवा गलत जानकारी के आधार पर आवंटन प्राप्त करने की दशा में आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के स्वयं उत्तरदायी होंगे ।
13. इसी प्रकार प्रशासकीय सुविधा की दृष्टी से किसी भी समय यह आवास आवंटन आदेश निरस्त/संशोधन किया जा सकेगा । ऐसी अवस्था में आवंटिती को 07 दिवस में अनिवार्य रूप से आवासगृह रिक्त करना होगा ।

हेतु-पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)
जिला इन्दौर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. उप पुलिस महानिरीक्षक की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. रक्षित निरीक्षक, वास्ते आदेशांकन ।
3. रक्षित निरीक्षक, रक्षित केन्द्र इंदौर ।
4. थाना प्रभारी एरोड्रोम जिला इंदौर ।
5. आंकिक वेतन डीपीओ/एचआरए लिपिक इन्दौर/एसी 1 ।
6. संबंधितों की ओर सूचनार्थ द्वारा रक्षित निरीक्षक/थाना प्रभारी ।

हेतु-पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)
जिला इन्दौर

Scanned by TapScanner